

(581)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट-IV

जयपुर दिनांक

13 FEB 2015

आदेश

विषय:- राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में संशोधन बाबत।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में किसी योजना में आरक्षित विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता के आवेदन पर आवासीय आरक्षित दर पर उक्त सुविधाओं के विकास के लिए विकासकर्ता को आवंटित किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03.05.2012 को प्रत्याहरित किया जाकर निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं का विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर योजना/आस-पास की योजना के आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर पर सुविधा के विकास हेतु आवंटित किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा योजना अनुमोदन की तीन माह की अवधि में आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। विकासकर्ता योजना में जिस प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित है के अनुरूप सुविधा क्षेत्र का विकास करेगा।

यदि विकासकर्ता सुविधा क्षेत्र आवंटित किये जाने का अनिच्छुक है अथवा तीन माह की निर्धारित समायवधि में नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो सम्बन्धित नगरीय निकाय इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर अन्य इच्छुक व्यक्ति/संस्थाओं को योजना अनुसार आरक्षित सुविधा क्षेत्र के विकास हेतु नियमानुसार आवंटित कर सकेगा। जिन विकासकर्ताओं द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 03.05.2012 जारी होने के पश्चात् आवंटन हेतु आवेदन कर दिया गया था व उस पर आवंटन आदेश जारी हो गये हों तो उन पर विभागीय आदेश दिनांक 03.05.2012 की शर्तें लागू होंगी तथा जिन आवेदनों पर निर्णय नहीं हुआ हो वे इस आदेश के अन्तर्गत वर्णित शर्तों के अनुसार निष्पादित किये जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से.

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास खास समस्त।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय